



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम लेल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc.liko-mef@nic.in

पत्र सं० 8वीं/यू0पी0/06/68/2022/एफ.सी. 699

दिनांक: 24.11.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Approach/44699/2020

विषय: जनपद हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भूस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) किमी० 03 चैनैज 2.243 की बांयी पटरी पर खसरा सं०-10 में मै०इण्डियन ऑयल कॉर्पो०लि० द्वारा न्यू रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.069777 हे० वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवित्तिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ: सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-2779/81-2-2022-800(69)/2022, लखनऊ, दिनांक-18.09.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य शासन के पत्रांक पी-44/81-2-2022-800(69)/2022, लखनऊ, दिनांक-25.05.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रस्तावित प्रकरण में इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक 21.09.2022 द्वारा राज्य शासन से कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना मांगी गई थी। प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है। उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित अनुपालना में निम्न सूचना का समावेश नहीं है। उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रेषित करें ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1- If the permission for use of forest land for non-forestry purposes has been granted by the State Authority then a report with full details of violation, authority responsible for violation etc. shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department so as to initiate action under section 3A and/or 3B of FC Act, as may be applicable, against the authority causing the violation of Forest (Conservation) Act, 1980.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।
4. जिलाधिकारी, हाथरस।
5. मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) आई०ओ०सी०एल० संजय प्लेस, आगरा।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-1816/11सी-FP/UP/Approach/44699/2020, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 28, 2022

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- मुख्य प्रबन्धक(रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कॉर्पो० लि०, आगरा मण्डल, कार्यालय 65/2, संजय प्लेस, आगरा-282002 (यू०पी०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।